विकास एवं विश्वास

का

दृष्टि - पत्र

बिहार विधानसभा चुनाव 2015

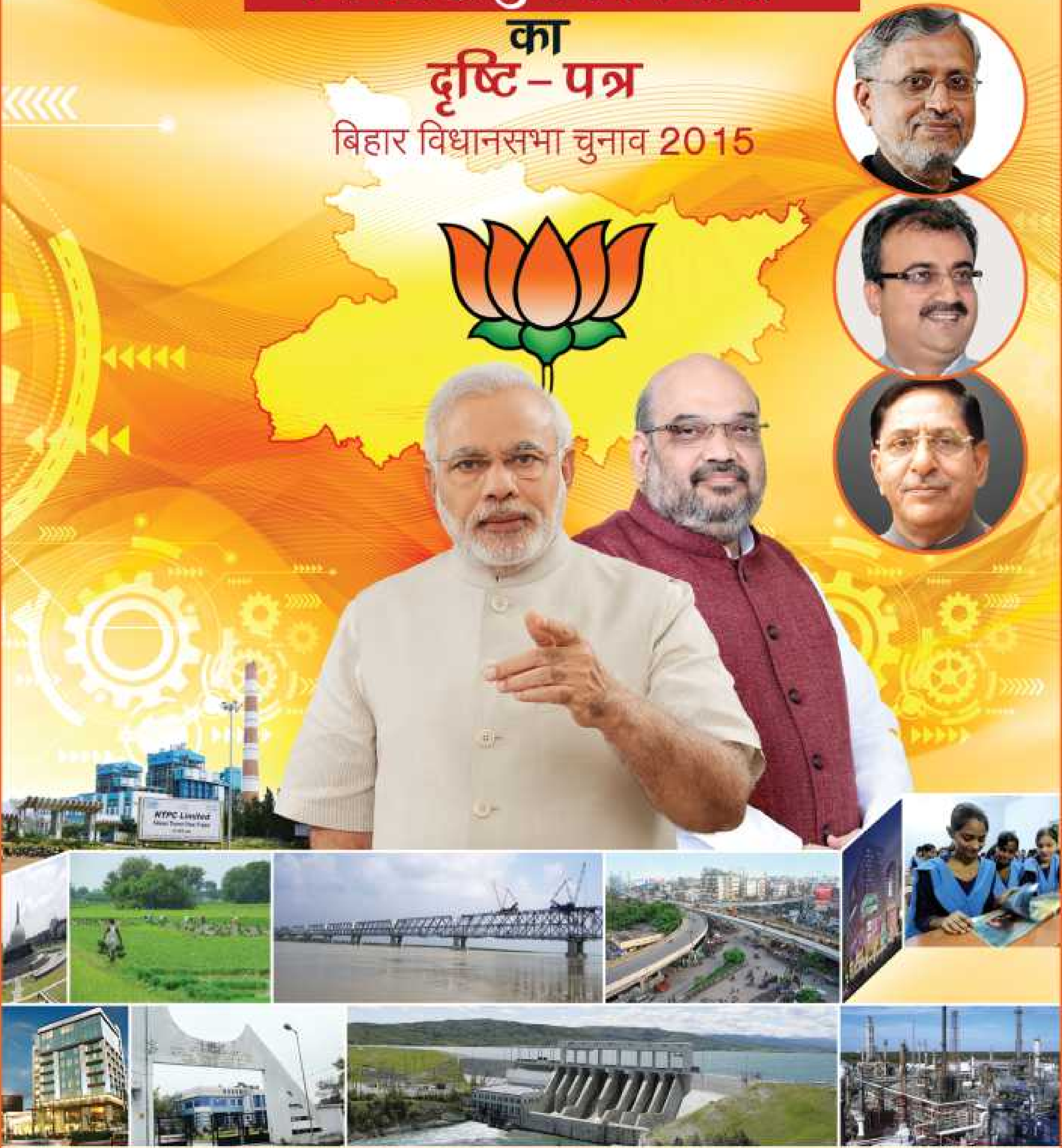

दृष्टि - पत्र

भारतीय जनता पार्टी

बिहार प्रदेश

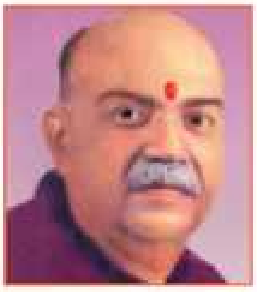

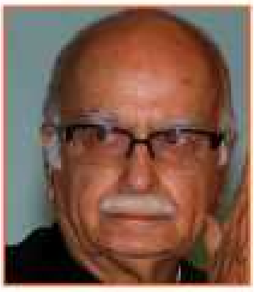

ताकि सनद् रहे

विधान सभा का यह चुनाव बिहार की दशा–दिशा का निर्धारण करने वाला ऐतिहासिक और निर्णायक चुनाव है। बिहार आज फिर उसी जगह खड़ा है जहाँ 2005 में खड़ा था। तब बिहार में व्याप्त जंगलराज के खिलाफ उत्पन्न जनाक्रोश ने सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ मतदान कर विकास, सुरक्षा और बिहार की अस्मिता की रक्षा के वादे के साथ खड़े भाजपा गठबंधन को सरकार बनाने और चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया था। भाजपा के समर्थन और सहयोग से जदयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री बने।

5 सालों के कार्यकाल में भाजपा गठबंधन की सरकार ने पूरी ताकत से जनाकांक्षा की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश की। परिणामस्वरूप राज्य में सुरक्षा का वातावरण बना और बिहार विकास की राह पर चल पड़ा। देश और दुनिया में बिहार की छवि बदली। बिहारवासी उपहास और अपमान के बदले सम्मान और विश्वास के पात्र बनने लगे ।

5 सालों में एनडीए सरकार ने जो साख और विश्वसनीयता अर्जित की उसके बल पर 2010 में एनडीए सरकार को भारी बहुमत हासिल हुआ। इन चुनाव परिणामों ने भाजपा की ताकत और भाजपा विधायकों की संख्या कम होने की तमाम अटकलों को झूठा साबित कर दिया। जनता के स्नेह और विश्वास से भाजपा को 101 में से 91 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बीच मिली ख्याति से जन्मे अहंकार और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के जुनून के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश से विश्वासघात करते हुये अकारण और अचानक भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया।

पूरे देश में श्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में व्यापक जनसमर्थन की जो लहर उठी उससे बौखलाकर नीतीश कुमार जिस प्रकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के समक्ष नतमस्तक हुये उससे प्रदेश की जनता और सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक आवाक रह गये क्योंकि जिस लालू–राबड़ी राज के खिलाफ जनादेश पाकर वे मुख्यमंत्री बने थे उसी से हाथ मिलाकर उन्होंने न केवल जनादेश का अपमान किया बल्कि बिहार में एक बार फिर जंगलराज का आगाज़ कर दिया। कांग्रेस और राजद से गठजोड़ करने के बावजूद नीतीश कुमार श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता से पार नहीं पा सके। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नैतिक और त्याग का पाखंड करते हुये उन्होंने महादलित समुदाय से आने वाले श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया तो जरूर लेकिन जैसे ही श्री मांझी स्वतंत्र निर्णय लेने लगे वैसे ही मात्र आठ महीनों में उन्हें अपमानित कर कुर्सी से हटा दिया और फिर से सत्ता पर काबिज हो गये ।

भाजपा से अलग होने तथा लालू प्रसाद से किये गये अवसरवादी और सिद्धांतहीन गठजोड़ के बाद बिहार विकास की राह से भटक गया और एक फिर नकारात्मक कारणों से चर्चा में आ गया। भाजपा गठबंधन के साथ किये गये विकास की धार कुंद हो गयी और साढ़े सात साल की विकास दर आधी हो गई। कृषि रोड मैप विफल हो गया। पहली बार बिहार के किसान आत्म हत्या के लिये मजबूर हुए। केन्द्र संचालित योजनाएं ठप हो गईं। दवा घोटाला, शराब घोटला, बिजली उपकरण खरीद घोटाला, जे.ई. भर्ती घोटाला और विभिन्न विभागों में हुई फर्जी बहालियां राज्य में बेलगाम बढ़ते भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं। विभिन्न सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के असंतोष ने उन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया। पहली बार आतंकवादियों ने बोधगया के बाद राजधानी पटना तक पहुंच कर धमाके करने का दु:साहस किया। हत्या, अपहरण, बैंक डकैती, लूट, बलात्कार आदि की घटनाओं में चिंताजनक इजाफा हुआ। राज्य में एक बार फिर राजनीतिक हत्याओं का दौर प्रारंभ हो गया है। दलितों और पिछड़ों एवं कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़े हैं।

एक तरफ भाजपा के साथ हुये साढ़े सात साल के विकास को सामने रखकर नीतीश कुमार ढाई वर्षों की नाकामियों पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिये दिखायी गयी सदायशता को नकारने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वह केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने से मिलने वाली 2 लाख 15 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की हिस्सेदारी हो या विभिन्न विभागों द्वारा राज्य को दी गई नई योजनाएं अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आगे बढ़कर किया गया 1.65 हजार करोड़ रूपये का विशेष पैकेज हो – उसका आभार मानने के बजाय नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के साथी उसे नकारने में लगे हैं। सच तो यह है कि नीतीश कुमार और उनके नये साझीदारों का चेहरा बेनकाब हो गया है और बिहार की जनता ने

उनकी राजनीति को नकार दिया है।

बिहार की जनता देख रही है कि इस गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार का मकसद जहाँ अपनी सत्ता बचाये रखना है वहीं लालू प्रसाद यादव अपनी अगली पीढ़ी को सत्ता में स्थापित करने की फिराक में लगे हैं। कांग्रेस किसी तरह इनके पीछे लगकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना चाहती है। एक–दूसरे के धुर विरोधी रहे ये दल निजी स्वार्थ में ही एकजुट हुये हैं। इनका घोषित सामूहिक उद्देश्य भी केवल भाजपा को हराना है। दूसरी तरफ भाजपा विकास सुरक्षा और बिहार की अस्मिता के संरक्षण के अपने वादे पर अडिग खड़ी है। केन्द्र और भाजपा शासित राज्यों के सुशासन से अपनी साख और विश्वसनीयता अर्जित कर चुकी भाजपा एक बार फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की वैचारिक विरासत को और पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की प्रेरण ा से अंतिम जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिये कृतसंकल्प है। भाजपा की सोंच और विजन हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर किसान को पूरे दाम, हर बच्चे को पढ़ाई, हर रोगी को दवाई, वृद्धों को सम्मान, महिलाओं की सबलता, उद्योग व्यापार की सफलता, हर घर में बिजली, जन–जन तक पानी, बेटियां पढ़कर बने सयानी, पूज्य पूजन के संस्कार और सुशासन लाने वाली सरकार, विकास दर की वृद्धि और बिहार की समृद्धि के संबंध में एक स्पष्ट विजन और उसे पूरा करने का मिशन लेकर जनता के सामने है।

यह दृष्टि–पत्र भाजपा की नीति और नीयत का ऐसा दृष्टि–पत्र है जिससे जनादेश मिलने पर इसके आधार पर विस्तृत योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर बिहार को देश के अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने के स्वप्न को मूर्त किया जायेगा। बिहार के सर्वागींण विकास की प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी राज्य के विधान सभा चुनाव 2015 के अवसर पर राज्य के सभी जागरूक मतदाताओं के आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा करते हुये आपके समक्ष उपस्थित है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित बिहार के स्वप्न को पूरा करने के लिये चौतरफा विकास की गति को तेज करते हुये बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिये पार्टी सदा प्रयत्नशील रहेगी।

राज्य को जाति के आधार पर बांटकर निजी और दलीय स्वार्थ के खातिर जंगलराज की ओर ले जाने वाली प्रतिगामी शक्तियों को पराजित करने के लिये हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के माध्यम से आपका आह्वान करते हैं –

आओ फिर से दिया जलायें

आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा

अपनों के विघ्नों ने घेरा

अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधिचि हड्डियाँ गलाये

आयो फिर से दिया जलायें ।।

कानून व्यवस्था

- पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कायम करेंगे।
- एक विशेष पुलिस फोर्स का गठन करेंगे जो वित्तीय एवं साइबर अपराधों की जांच करेगी।
- वी.आइ.पी. सुरक्षा के लिए एक अलग फोर्स का गठन करेंगे जिससे आम आदमियों की सुरक्षा पर कोई असर न हो।
- शिकायतों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एफ.आई. आर. के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेंगे।
- प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण चौराहों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएं जाएंगे। प्रत्येक थानो में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जायेंगे।
- महिलाओं के लिए 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूमों की स्थापना करेंगे। महिला संबंधी घटनाओं को महिला कांस्टेबल ही मॉनिटर करे, यह सुनिश्चित करेंगे। रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था कराएँगे।
- प्रत्येक जिला में एक विशेष जांच टीम की स्थापना करेंगे, जिसका कार्य महिला संबंधी अपराधों जैसे– बलात्कार, एसिड अटैक, दहेज मृत्यु, यौन–उत्पीड़न की जांच करना एवं समयबद्ध रिपोर्ट करना होगा।
- PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय कानून बनायेंगे।
- क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (CCTNS) स्थापित किया जाएगा जिससे अपराध और अपराधियों के आंकड़े तत्काल मुहैया कराये जा सकेंगे।
- आपराधिक, नक्सली एवं आतंकी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को न्यूनतम 2 लाख रूपये मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि

- कृषि विभाग का नाम बदल कर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किया जाएगा और इसमें किसानों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- कृषि का पृथक बजट प्रतिवर्ष पेश किया जायेगा।
- आगामी 3 वर्षों में कृषि कार्य के लिए अलग फीडर के माध्यम से कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जाएगी, जबकि घरेलू स्तर पर 24x7 बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।
- अगले एक साल के अंदर हर गॉव–खेत में बिजली पहुंचा दी जाएगी।
- सभी पैक्सों को कंप्यूटरीकृत करेंगे। इनको व्यापार हेतु पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी। भवन निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराएँगे और सचिव की नियुक्ति भी करवाएंगे। साथ ही यहाँ भण्डारण की व्यवस्था भी करेंगे।
- पैक्सों के चुनावो में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।
- **प्रत्येक किसान के खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे और हर किसान को अगले तीन वर्षो में 'सोइल हेल्थ कार्ड' देंगे।**
- विगठित कृषि बाजार समितियों के जमीन एवं संपदा को विकसित कर कृषि एवं किसानों के हित में ही उपयोग किया जायेगा।
- किसानों की फसल क्षति की भरपाई हेतु एक प्रभावी बीमा नीति बिहार में लागू की जाएगी।
- सरकारी स्तर से समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं आदि की खरीद की व्यवस्था को पारदर्शी बनायेंगे और समय पर भुगतान सुनिश्चित

करेंगे।

- बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र, दियारा, टाल, चौड़ एवं ड्राई लैंड के लिए विशेष योजना बनाएंगे।
- सिंचाई की लंबित योजनाओं को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जायेगा।
- आहर, पइन, नहर, तालाब व अन्य परंपरागत जल स्रोतों एवं सार्वजानिक स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार करेंगे।
- टाल एरिया का विकास एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे।
- कृषि कौशल विकास योजना को बढ़ावा देना।
- **दलहन एवं तिलहन जैसी फसलों की उपज को प्रोत्साहित करेंगे और इसके लिए विशेष कार्यक्रम लागू करेंगे।**
- किसानो को उच्च पैदावार के बीज एवं रोपण सामग्री मुहैया करायेंगे।
- नील क्रांति– मछुआरों को प्रशिक्षण देकर सरकारी तालाबों को कॉपरेटिव के माध्यम से सिर्फ मछुआरों को ही आवंटित करेंगे और मत्स्य पालन के लिए 'मछुआरा को–ऑपरेटिव' को सस्ते ब्याज दर पर ऋण दिलाने की व्यवस्था करेंगे।
- मछली पालन एवं मछली की खेती के लिए विशेष अनुदान बढ़ाएंगे और मत्स्य पालकों को बड़े पैमाने पर बिहार एवं बिहार के बाहर ट्रेनिंग देंगे।
- राज्य में एक वेटेनरी विश्वविद्यालय एवं एक नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- **राज्य में वेटनरी एवं फिशरीज कॉलेज, होर्टीकल्चर कॉलेज, फूड प्रोसेसिंग कॉलेज एवं दो नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करेंगे**
- राष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान– डेयरी, राइस, सब्जी, फल, बीज इत्यादि– की इकाइयों को बिहार में स्थापित किया जाएगा।
- **डेयरी प्लांटों की संख्या बढ़ाएंगे, दुग्ध उत्पादन को दुगुना करेंगे और देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए विशेष योजना बनायेंगे।**

सुशासन

भ्रष्टाचार पर वार

- एक सशक्त एवं मजबूत सतर्कता, भ्रष्टाचार–विरोधी एजेंसी की स्थापना करेंगे। इसकी एक यूनिट या इकाई का गठन प्रत्येक जिले में होगा ताकि आम आदमी भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मियों के खिलाफ अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकें।
- **नये सतर्कता कोर्टो की स्थापना करेंगे ताकि भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसों का निपटारा अल्पावधि में हो सके।**
- राइट–टू–सर्विसेज कानून का पूर्णतया कम्प्यूटराईजेशन करके उसको प्रभावी बनाया जायेगा और बची हुई सेवाओं को भी उनके अन्दर डाला जायेगा।
- हर स्तर पर डिजिटल फाइल सिस्टम की व्यवस्था करेंगे।
- सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाई जाएगी और इसके लिए e-Tender एवं e-Payment की व्यवस्था की जाएगी। भू–अभिलेख का कम्प्यूटराईजेशन करेंगे।
- रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने वालों को एक समय सीमा के अंदर दंडित कराने की व्यवस्था की जाएगी।
- बिहार विशेष न्यायलय एक्ट, जिसके तहत भ्रष्टाचारियों की सम्पति जब्त की जाती है, को और प्रभावी बनाया जायेगा।
- भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर की शुरुआत करेंगे।

प्रशासनिक सुधार

- आवश्यकतानुसार नए प्रखंडों, अनुमंडलों, जिलों सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा।
- राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाण–पत्र सत्यापित कराने की बाध्यता को समाप्त कर सभी तरह के स्व–अभिप्रमाणित (Self attested) प्रमाण–पत्रों को मान्यता दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी

- डिजिटल बिहार के मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
- **एक नई सूचना प्रौद्योगिकी की नीति तैयार की जाएगी ताकि सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश हो सके।**
- आई.टी. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- सभी सरकारी सेवाओं को ई.डी.एस. (Electronic Delivery Services) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।
- Citizen Centric E-governance को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 'आपकी सरकार आपके हाथ' योजना के तहत Mobile Governance के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी।
- प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को e-literate बनाया जाएगा।
- राज्य में ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क ग्रामीण टोलों तक पहुंचायेंगे ताकि ब्रॉडबैंड की सुविधा सभी निवासियों को मिले।

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार

- बिहार में 'अटल दवा केन्द्र' स्थापित करेंगे जिसके तहत महत्वपूर्ण दवाइयों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रमुख शहरों में गरीबों के लिए रात्रि शरणालय का निर्माण किया जायेगा।
- **गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सरकार की तरफ से अधिकतम सहायता दी जाएगी।**
- पी.पी.पी. मॉडल पर बने अस्पतालों में 25 प्रतिशत बिस्तर गरीबों के लिए आरक्षित किये जायेंगे।
- बिहार में अनाज वितरण प्रणाली को दुरुस्त करेंगे।
- **वर्ष 2022 तक सभी को आवास प्रदान किया जायेगा। इन आवासों में बिजली, शौचालयों एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।**
- शहरों में रहने वाले झुग्गी झोंपड़ी वासियों को सरकार सस्ते दर पर शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत युक्त आवास उपलब्ध कराएगी।
- **हर गरीब परिवार को एक दुधारू पशु खरीदने के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।**
- सभी भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए पांच डिसमल जमीन उपलब्ध कराएगी।
- भेड़, बकरी, बतख एवं मुर्गी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा और गरीबों में वितरित किया जायगा।
- प्रत्येक गरीब परिवार को एक जोड़ा धोती साड़ी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएँगे।

शिक्षित बिहार, विकसित बिहार

शिक्षा

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्विषयी शिक्षा केंद्र (International Education Hub) की स्थापना। जिसमें पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा आधुनिकतम विषयों (टेक्सटाईल, फैशन डिजाइनिंग, रिमोट सेंसिंग, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म आदि) का समावेश।
- प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक ढांचागत उन्नयन। शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, छात्र–छात्राओं के लिये पृथक शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटरशालाओं की स्थापना।
- **हर विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा, इंडोर और आउटडोर खेलों की सुविधा। पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास।**
- जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रतिवर्ष शिक्षा पर्व का आयोजन कर स्कूल से बाहर सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन।
- स्वच्छता और पौष्टिकता के मानकों का पालन करते हुये महिला सहायता समूहों के माध्यम से अक्षय पात्र योजना की तर्ज पर मिड–डे–मील योजना का सुचारू रूप से संचालन।
- **प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति। विद्यालयों में संगीत तथा कला शिक्षकों की अविलंब नियुक्ति।**
- जनभागीदारी से (PPP MODE) नये उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों (मेडिकल, इंजीनियरिंग, विधि आदि) के अलावा नये–नये विषयों के संस्थानों की स्थापना। व्यवसायिक और कौशल विकास संस्थानों के लिये प्रोत्साहन।
- **पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को कोचिंग हब के रूप में विकसित करेंगे।**
- मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा।
- शिक्षा–ऋण गारंटी योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च शिक्षा के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- समाज के कमजोर वर्गों के छात्र–छात्राओं को तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा राज्य के भीतर और बाहर प्राप्त करने के लिये विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे ।
- विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले छात्रों को अपेक्षित सूचनाएं एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिये एक विशेष ब्यूरो का गठन किया जायेगा।
- प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- हर पंचायत में एक इंटर स्कूल की स्थापना की जाएगी।
- बड़े पैमानों पर शिक्षकों के रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाकर भरा जायेगा।
- वित्तरहित शिक्षा नीति के तहत आनेवाले अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की समस्यायों के समाधान के लिए पुनर्विचार किया जायेगा।
- प्रारंभिक से इंटर तक निश्चित वेतन पर कार्यरत शिक्षकों के लिए घोषित वेतनमान की पुनः समीक्षा की जाएगी।

सर्वे सन्तु निरामयाः

स्वास्थ्य

- **मुख्यमंत्री बाल-हृदय योजना लागू करेंगे।**
- सुदूर गांवों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मोबाईल मेडिकल वैन (चलंत चिकित्सा वाहन) एवं टेलीमेडिसीन की सुविधा।
- राज्य में चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं प्रशिक्षित उपकरण ऑपरेटरों के सभी रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति।
- नये मेडिकल कॉलेजों, दंत महाविद्यालयों, पारा मेडिकल संस्थानों और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना। पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों को सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (Centres of Excellence) बनाना ।
- **राज्य में संचालित निशुल्क दवा और निशुल्क जाँच योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।**
- आयुष के अंतर्गत सभी चिकित्सा प्रणालियों एवं योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा का ग्रामीण क्षेत्रों पर विस्तार।
- मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन। जननी सुरक्षा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर माता और शिशु के स्वास्थ्य की देख–रेख तथा संपूर्ण टीकाकरण।
- तेजाबी हमलों से पीड़ित जनों/महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सा। निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा की बाध्यता।
- **गरीब वंचित एवं कमजोर तबकों के लिए 'जन-स्वास्थ्य कार्ड'। चिकित्सा सहायता राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार।**
- प्रत्येक परिवार के मुखिया का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।
- स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रत्येक स्कूली बच्चे को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार द्वारा इलाज कराया जाएगा।
- 24X7 एम्बुलेंस सेवा एवं Trauma Care की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सशक्त महिला, सशक्त बिहार

महिला सशक्तिकरण

- घटते बालिका लिंगानुपात (0–6 वर्ष) के मद्देनजर बिटिया बचाओ अभियान। लिंगाधारित गर्भपात (भ्रूण हत्या) पर रोक हेतु (PC& PNDT Act) का कठोरता से अनुपालन। कन्या जन्मोत्सव को आंगनबाड़ी गतिविधियों में मान्यता एवं सामान्य प्रचलन में लाना।
- **हर बच्ची जाएगी पाठशाला। 6 वर्ष के उपर की हर बच्ची का नामांकन। शत प्रतिशत नामांकन वाली पंचायत को पुरस्कार। अक्षर-दीप योजना के तहत महिला साक्षरता हेतु सघन अभियान।**
- तकनीकी एवं प्रोफेशनल (प्रदेश के अंदर या बाहर) शिक्षा हेतु लड़कियों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण ।
- **प्रखंड स्तर पर आत्म रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र।**
- अधिक सक्षम और तत्पर महिला हेल्पलाईन सेवा का विस्तार। शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ विरोधी दस्ता की तैनाती। संकट में पड़ी महिलाओं के सहायतार्थ हिम्मत एवं निर्भया 911 के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- **बलात्कार पीड़िताओं के लिये जस्टिस उषा मेहरा के निर्देशों के अनुरूप One Stop Rape Crisis Centre की स्थापना।**
- 'मेरी बिटिया मेरा अभिमान कार्यक्रम' के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं से लेकर कला, साहित्य, हस्तशिल्प, विज्ञान, उद्योग–व्यवसाय तथा खेलकूद अथवा अन्य क्षेत्रों में शीर्ष स्थान या विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली बालिका/महिला की माता को जानकी सम्मान।
- महिलाओं के कौशल विकास हेतु सिलाई, कढ़ाई तथा ब्यूटिशियन आदि के अलावा बढ़ईगिरी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और राजमिस्त्री जैसे गैर–परंपरागत कार्यों का प्रशिक्षण देकर निर्माण उद्योग से जोड़ना। महिलाओं द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों एवं उद्यमों के विक्रय हेतु महिला समृद्धि बाजार।
- कस्बाई स्तर पर महिला सहकारी समितियों का गठन। ये समितियां उपभोक्ता भंडार, स्टोर्स का संचालन करेंगी। इन भंडारों में महिला सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री के अलावा जन वितरण की दुकानें भी चलायी जाएंगी।
- प्रसवोपरांत अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय हर

प्रसूता को बच्चे के लिए शिशु मंजूषा (Child Care Kit) दिया जाएगा ।

- प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर पास करने वाली 5000 बालिकाओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।
- महिला उद्यमियों को रोजगार दिलाने के लिये स्वसहायता समूह बनाये जायेंगे।

बिजली

- किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जायेंगे।
- **उर्जा के अपरम्परागत श्रोत यथा सौर उर्जा, पनबिजली और बायो-डीजल को विशेष अनुदान देकर प्रोत्साहित करने हेतु नई नीति बनाई जाएगी।**
- बिजली उत्पादन की तमाम परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा किया जायेगा।
- ग्रामीण गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जायेगा।
- जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की समय सीमा तय की जाएगी।

उद्योग एवं व्यवसाय

- 'मेक इन बिहार' को बढावा देंगे।
- एक नई औद्योगिक नीति बनायी जायेगी ।
- उद्योगों एवं व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के अध्ययन एवं निदान हेतु अलग-अलग आयोगों का गठन किया जायेगा।
- **औद्योगिक क्षेत्र के लिये अलग बिजली का फीडर लगाया जायेगा तथा 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।**
- एक प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए ताकि सभी तरह की कार्यवाई हेतु एक ही जगह निस्तारण हो सके और निवेशकों का विश्वास बढ़े।
- निर्यात प्रोत्साहन परिषद (Export Promotion Council) का गठन करेंगे और इनके माध्यम से कृषि उत्पाद, MSME, कला और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ेंगे।
- **जिला स्तर पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये एक विषेष सेल का गठन करेंगे।**
- हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित कर बुनकरों को रियायती दर पर ऋण और अनुदानित दरों पर बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। बुनकर क्रेडिट कार्ड और इनके उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध करायेंगे।
- स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये 500 करोड़ रूपये का Venture Capital Fund बनाया जायेगा ।

युवा वर्ग एवं खेल-कूद

- एक नई युवा नीति बनायी जाएगी ।
- **युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे।**
- युवाओं को स्व–रोजगार के लिये क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करेंगे।
- स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के लिये विशेष उद्यम प्रोत्साहन नीति बनायी जाएगी।
- राज्य में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- जिला स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना और संचालन हेतु जिला मुख्यालयों में आई.टी.आई. को नोडल एजेंसी का दर्जा देंगे।
- **ऐसे छात्र जो विदेशों में पढ़ाई के लिये जाना चाहते हैं उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिये एक अलग ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।**
- युवा उद्यमियों को निजी उद्योग के लिए उत्प्रेरित करने हेतु 'उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- प्रमुख शहरों में प्रतिवर्ष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी कंपनियों को बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये आने के लिये प्रेरित करेंगे।
- सभी प्रखंडों में मिनी आई.टी.आई., सभी उपखंडों में एक आई.टी.आई., सभी जिलों में एक पॉलिटेक्निक और सभी प्रमंडलों में एक–एक इंजीनियरिंग और चिकित्सा महाविद्यालय।
- स्किल्ड बिहार' के सपने को पूरा करना।
- नवीनतम सुविधाओं से लैस आधुनिकतम स्टेडियमों का निर्माण प्रमुख षहरों में करेंगे।
- प्रतिभावान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर उनको आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।
- **महिला खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी।**
- जल क्रीड़ा को प्रोत्साहित करेंगे।
- **राज्य में प्रमुख शहरों में खेल होस्टलों की स्थापना की जाएगी।**

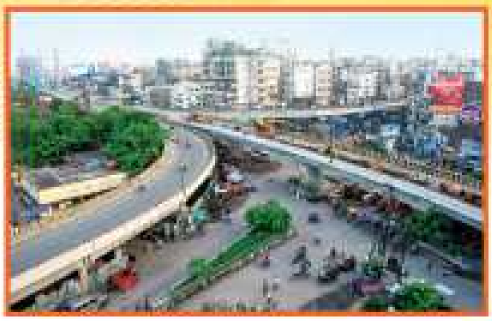

शहरी विकास

- राज्य के सभी शहरों के अंदर शुद्ध पेयजल, सीवरेज एवं ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट, पी.सी.सी. सड़कें, टाउन हॉल, बाईपास, पार्किंग, वेंडर जोन, फुटपाथ एवं आधुनिक बस स्टैंड बनाये जायेंगे।
- ***शहरों को स्वच्छ रखने के लिये डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन किया जायेगा।***
- शहरों में पार्क, खेल मैदान, स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा।
- शहरों में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ई–रिक्शा एवं ई–ठेला को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- **प्रदेश के शहरों में खाली पड़े स्थानों पर एक लाख छोटी दुकाने/कियोस्क का निर्माण कर बेरोजगारों को रोजगार हेतु आवंटित किया जायेगा।**
- प्रदेश के राजधानी पटना में मेट्रो/मोनो रेल का यथाशीघ्र निर्माण कर यातायात को सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाया जायेगा।
- कोर्ट परिसर में आधुनिक सुविधायुक्त वकालतखानों का भवन–निर्माण किया जाएगा।
- सभी शहरों में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, बुनकर एवं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए हाट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

ग्रामीण विकास

- हर गाँव को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
- सभी प्रखंडों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 2 लेन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
- विकास मित्र, टोला सेवक, किसान सलाहकार आदि के मानदेय में जो वृद्धि हुई है उस पर नई सरकार न्यूनतम बढ़ोतरी के बारे में समीक्षा कर निर्णय लेगी।
- आँगनवाडी सेविका एवं सहायिका, रसोइयों, दफादारों, चौकीदारों आदि को मिलने वाले मानदेय और अन्य सुविधाओं के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति गठन कर समीक्षा की जाएगी।

पर्यटन

- गया में पितृपक्ष मेला प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए अलग से विकास प्राधिकरण (Development Authority) का गठन किया जायेगा।
- **राज्य में पर्यटक मार्गदर्शक (Tourist Guide) के प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख पर्यटक स्थलों पर कौशल विकास के अंतर्गत स्थापित किए जायेंगे।**
- महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों को रज्जुमार्ग से जोड़ा जायेगा।
- पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों एवं धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित किया जाएगा।
- **बिहार के महत्वपूर्ण धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पर्यटक स्थलों को विकसित किया जायेगा।**
- गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा आरती तथा अन्य शहरों में नदी अथवा बड़े तालाबों के किनारे आरती का आयोजन किया जाएगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग

- तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी।
- जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया जायेगा ।
- **थरूहट विकास अभिकरण को प्रभावशाली बनाया जाएगा ।**
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल जिला मुख्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों का बड़ी मात्रा में निर्माण कराया जायेगा और जो स्थापित हैं उनका जीर्णोद्धार किया जायेगा।
- **सरकारी नौकरियों में विशेष भर्ती अभियान चलाकर रिक्त बैकलॉग सीटों को भरने का प्रयास किया जायेगा।**
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी बनाया जायेगा एवं इसके मॉनिटरिंग के लिये एस.सी.–एस.टी. अधिकारियों का सेल बनाकर कड़ाई से पालन किया जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थानों को सुदृढ़ किया जायेगा ।
- **अनुसूचित जाति एवं अन्य लोगों के जबरन धर्मान्तरण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाया जायेगा।**
- **इन वर्गो के सदस्यों को प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति एवं रोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।**
- इन वर्गो के लिये बने वित्त विकास निगम को सुदृढ़ जायेगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये बजट में प्रावधानित राशि को प्रभावी ढंग से व्यय किया जायेगा ।
- **कुम्भकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जायेगी।**
- इन वर्गो के सदस्यों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा।
- दलित/महादलित टोलों में सरकार की ओर से कलर टी.वी. दिया जायेगा।

अल्पसंख्यक

- सीमांचल के सर्वांगीण विकास के लिये एक विशेष योजना तैयार की जायेगी।
- **राज्य के सभी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जायेगा।**
- मदरसा शिक्षा को कम्प्यूटरीकृत करते हुये आधुनिकीकृत किया जायेगा।
- उर्दू के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था एवं इनके प्रबंधन को सुदृढ किया जायेगा।

खाद्य सुरक्षा

- **सभी गरीबों को 2 रूपये किलो गेहूं और 3 रूपये किलो चावल देने वाली योजना को प्रभावी बनाया जायेगा।**
- जन वितरण प्रणाली में कम्प्यूटराइजेशन, Door–Step Delivery एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था की जायेगी एवं कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

पर्यावरण

- तालाबों एवं झीलों को पुनर्जीवित करेंगे।
- **मुख्य राजमार्गों/सड़कों पर विभिन्न स्थानों पर शौचालयों का निर्माण करेंगे।**
- हम केन्द्र सरकार के माध्यम से कोसी, बागमती एवं कमला नदियों पर हाई–डैम बनाने के लिए नेपाल की सरकार से बातचीत कराने की दिशा में पहल करेंगे।
- राज्य में स्थायी बाढ प्रबंधन हेतु तटबंधों का सुदृढीकरण, जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण किया जायेगा।
- **नदियों के दोनों तरफ प्रमुख नहरों में ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेंगे ताकि नदियों को प्रदूषित होने से रोका जा सके।**
- राज्य की महत्वपूर्ण नदियों के कमांड क्षेत्रों में नहरों का जीर्णोद्धार एवं क्षमता विस्तार किया जायेगा।

- **'स्वच्छ बिहार'** के मिशन को पूरा किया जायेगा।
- सभी सड़कों, नहरों, तटबंधों के किनारे एवं शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवा कर 'हरित पट्टी' का निर्माण कराया जाएगा।
- सभी सरकारी भवनों एवं आवासों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे ।
- नदियों को जोड़ने की योजना को बल प्रदान किया जायेगा।
- किसी प्रकार के सरकारी ऋण की उपलब्धता के लिए घर में शौचालय की अनिवार्यता लागू की जाएगी।

पंचायती राज व्यवस्था में सुधार

- पंचायतों के वार्ड सदस्य को वर्तमान में घोषित 500 रूपये भत्ता में दोगुना वृद्धि कर 1000 रूपये भत्ता दिया जायेगा। स्थानीय निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों के भत्ते में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। मुखिया को भी वर्तमान घोषित 2500 रूपये के अतिरिक्त 1500 रूपये और प्रमुख को 10 हजार रूपये के अलावा 2000 रूपये ईंधन भत्ता दिया जाएगा।
- **वार्ड सदस्यों को एक साइकिल और उनकी अनुशंसा पर एक चापाकल दिया जायेगा।**
- सभी स्रोतों से प्रति पंचायत प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 लाख रूपये विकास कार्यों के लिए दिए जायेंगे।
- पंचायत सचिव के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में उप सचिव, सहायक सह लेखापाल और आई.टी. ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण किया जायेगा।
- **राज्य सरकार जिला परिषदों और पंचायत समितियों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगी।**

सबको सुरक्षा, सबको सम्मान

बाल एवं वृद्धजन

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकता देने की नीति।
- प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वृद्धायु शास्त्र औषधि इकाई (Geriatric Medicine Unit) का गठन। निमोनिया एवं इंफ्लुएंजा का टीकाकरण।
- वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्ड।
- **जिला स्तर पर आधुनिक सुविधायुक्त वृद्धाश्रम। अकेले रहने वाले वृद्ध दम्पति या एकल वृद्धों की देख-रेख और सुरक्षा के लिए 'बीट पुलिसिंग'।**
- बाल श्रम उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुक्त कराए गए बच्चों के लिए जिला स्तर पर अल्पावास–गृह और आवासीय विद्यालय।

श्रम शक्ति, राष्ट्र शक्ति

श्रम संसाधन

- सरकारी कर्मचारियों की समस्यायों की सुनवाई और उसके त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।
- **दूसरे राज्यों में कार्यरत बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिये उन राज्यों में एक सेल का गठन किया जाएगा जो उनसे जुड़ी समस्याओं को वहां की सरकारों की मदद से निदान दिला सके।**
- संविदा पर नियुक्त कर्मियों की समस्याओं पर विचार के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन।

लोकतंत्र के सजग प्रहरी

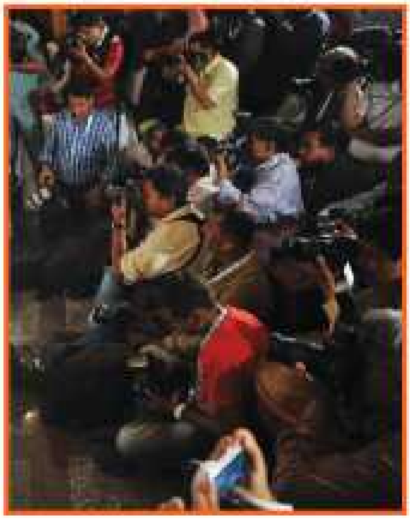

पत्रकार

- **पत्रकारों के लिये सामूहिक बीमा योजना तथा मेडि-केयर की सुविधा दी जाएगी।**
- राज्य सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप दिया जायेगा।

गौ-वंश संवर्धन एवं संरक्षण

- गौ–संवर्धन के लिये 'गौ–पालन निदेशालय' की स्थापना की जाएगी।
- **पंचगव्य शोध, गौ-संवर्धन, गौ-संरक्षण, गौ-पालन एवं गौ-आधारित चिकित्सा खेती विषयों पर गौ-केन्द्रित व्यवस्थाओं के शोध एवं क्रियान्वयन हेतु गौ-विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी।**
- बिहार की गौशालाओं का पुनरूद्धार किया जाएगा और सरकार के स्तर से अनुदान दिया जायेगा।

संरक्षित हो भाषा, कला, संस्कृति- हटे प्रदूषण घटे विकृति

भाषा, कला एवं संस्कृति

- बिहार की कला, गायन–वादन एवं नृत्य परंपरा, खान–पान एवं संस्कृति की विरासत के संरक्षण हेतु लोक कला अकादमी का गठन।
- **चित्रकला, मूर्तिकला एवं हस्तशिल्पकारों की कृतियों के प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर की कला दीर्घा तथा कलाकृतियों के विक्रय हेतु हाट की व्यवस्था।**
- संस्कृत एवं अंग्रेजी–संभाषण के अलावा फ्रेंच, अरबी, जर्मन, स्पेनिश, रशियन आदि विदेशी भाषाएं सिखाने के लिये भाषा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
- बिहार फिल्म निगम की स्थापना तथा भोजपुरी तथा बिहार की अन्य भाषाओं की फिल्मों एवं टी.वी. सीरियल की शूटिंग के लिये इनडोर शूटिंग स्टूडियों का निर्माण ।
- संथाली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बांग्ला आदि भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। बांग्ला भाषी छात्रों के लिए शिक्षकों और बांग्ला पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी।

आह्वान

बिहार विधान सभा का यह चुनाव एक चुनौती और एक अवसर के रूप में हमारे सामने आया है। इस चुनाव में जनता को 2005 और 2010 में मिले जनादेश के साथ विश्वासघात करने, बिहार के हितों को तथा बिहार के वर्तमान और भविष्य को निजी महत्वाकांक्षाओं और दलीय स्वार्थों की बलि चढ़ाने वाले जदयू, राजद और कांग्रेस जैसे दलों को सबक सिखाने तथा तीसरे मोर्चे के नाम पर 'खंडित जनादेश' की ओर ले जाने का प्रयास करने वाले दलों को नकारने का दुलर्भ अवसर हुआ है।

इस चुनाव में एक–एक वोट कीमती है। एक–एक वोट का सही इस्तेमाल कर आप बिहार को फिर विकास, शांति और समृद्धि के रास्ते पर ला सकते हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ सबका विकास' की मूलभूत प्रतिबद्धता के साथ केंद्र में तथा 11 प्रदेशों (8 प्रदेशों में भाजपा और 3 प्रदेशों में भाजपा गठबंधन) में सफलतापूर्वक सरकार चलाते हुए जनता का विश्वास अर्जित करने वाली भाजपा एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के रूप में आपके सामने है।

हम लोकतंत्र की धरती बिहार के जागरूक मतदाताओं का आह्वान करते हुए विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस चुनाव में आप जाति, वर्ग और पंथ के आग्रहों तथा भेदभावों से ऊपर उठकर, एकजुट होकर मतदान करें। केंद्र और राज्य में संतुलन साध कर बिहार में इस बार भाजपा नीत राजग सरकार बनाने तथा जंगलराज से बचा कर केंद्र सरकार से तालमेल करते हुये बिहार को फिर विकास की राह पर ले जाने के लिए कृत संकल्प हो, अपने मताधिकार का सकारात्मक प्रयोग करें तथा अपने स्वजनों और इष्ट–मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।

लोकतंत्र के इस यज्ञ में आप मतदान मात्र ही से अपने राज्य और भावी पीढ़ियों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं। इस अवसर को चूकें नहीं। 5 चरणों में सम्पन्न होने वाले इस चुनाव में भाजपा नीत राजग के एक–एक प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनायें। बिहार का भविष्य आपके हाथ में है।

याद रखें–

समर शेष है–
नहीं पाप का भागी केवल व्याघ,
जो तटस्थ है,
समय लिखेगा उनका भी अपराध।।

दृष्टि पत्र–मुख्य बिन्दु

1. कृषि का पृथक बजट प्रतिवर्ष पेश किया जायेगा ।
2. आगामी 3 वर्षों में कृषि–कार्य के लिए अलग फीडर के माध्यम से कम से कम 12 घंटे बिजली उपलबध करायी जाएगी, जबकि घरेलू स्तर पर 24X7 बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।
3. अगले एक साल के अन्दर हर गाँव–खेत में बिजली पहुंचा दी जाएगी।
4. बिहार में एक नये कृषि विश्वविद्यालय एवं एक वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
5. समय पर ऋण वापस करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत व्याज दर पर कृषि ऋण उपलबध कराया जाएगा।
6. आवश्यकतानुसार नए प्रखंडों, अनुमण्डलों, जिलों सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा।
7. हर गाँव को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
8. सभी प्रखण्डों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 2 लेन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
9. स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये 500 करोड़ रुपये का Venture Capital Fund बनाया जायेगा।
10. प्रत्येक परिवार के मुखिया का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।
11. 'मुख्यमंत्री बाल–हृदय सुरक्षा योजना' के तहत हृदय में सूराख जैसे रोगों का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाएगा।
12. स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रत्येक स्कूली बच्चे को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा । गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार द्वारा इलाज कराया जाएगा।
13. आपराधिक, नक्सली एवं आतंकी घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को न्यूनतम 2 लाख रुपये मुआवजा उपलब्ध करायी जाएगी।
14. सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन गृह निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।
15. 2022 तक सभी गृहविहीनों को शुद्ध पेयजल , शौचालय एवं विद्युतयुक्त पक्के आवास उपलब्ध कराये जायेंगे ।
16. सभी सरकारी सेवाओं को ई.डी.एस. (Electronic delivery services) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा ।
17. Citizen Centric e-Governance को बढ़ावा दिया जाएगा ।
18. 'आपकी सरकार आपके हाथ' योजना के तहत Mobile Governance के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध करवायी जाएँगी ।
19. प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को e-literate बनाया जाएगा।
20. मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा उर्त्तीण करने वाले 50 हजार मेधावी छात्रों को लौपटॉप उपलब्ध कराया जाएगा ।
21. शिक्षा–ऋण गारंटी योजना लागू की जाएगी । इसके अंतर्गत 3 प्रतिशत व्याज दर पर उच्च शिक्षा के लिये ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।
22. लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सस्ते व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
23. समाज के कमजोर वर्गों के छात्र–छात्राओं को तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा राज्य के भीतर और बाहर प्राप्त करने के लिये विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएँगे ।
24. विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले छात्रों को अपेक्षित सूचनाएँ एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिये एक विशेष ब्यूरो का गठन किया जायेगा ।
25. किसी प्रकार के सरकारी ऋण की उपलब्धता के लिए घर में शौचालय की अनिवार्यता लागू की जाएगी ।

26.कोर्ट परिसर में आधुनिक सुविधायुक्त वकालतखानों का भवन–निर्माण किया जाएगा ।

27.सभी सड़कों, नहरों, तटबंधों के किनारे एवं शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवा कर 'हरित पट्टी' का निर्माण कराया जाएगा ।

28.सभी सरकारी भवनों एवं आवासों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएँगे ।

29.हर शहर में आवश्यकता के आधार पर स्टेडियम, आधुनिक सुविधायुक्त टाउन हॉल, आडीटोरियम , बाईपास , हाट आदि का निर्माण कराया जाएगा ।

30.राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाण–पत्र सत्यापित कराने की बाध्यता को समाप्त कर सभी तरह के स्व–अभिप्रमाणित (Self attested) प्रमाण–पत्रों को मान्यता दी जाएगी ।

31.युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे ।

32.युवा उद्यमियों को निजी उद्योग के लिए उत्प्रेरित करने हेतु 'उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ।

33.व्यवसाय एवं उद्योग के लिए कारगर 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू किया जाएगा ।

34.प्रखंड से जिले स्तर तक राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, पोलीटेकनीक, आई.टी.आई. स्थापित किये जायेंगे ।

35.प्रदेश के शहरों में खाली पड़े स्थानों पर एक लाख छोटी दुकाने/कियोस्क का निर्माण कर बेरोजगारों को रोजगार हेतु आवंटित किया जायेगा।

36.कस्बाई स्तर पर महिला सहकारी समितियों का गठन एवं ये समितियाँ उपभोक्ता भंडार, स्टोर्स का संचालन करेंगी । इन भंडारों में महिला सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री के अलावा जन वितरण की दुकान भी चलायी जाएँगी ।

37.प्रसवोपरांत अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय हर प्रसूता को बच्चे के लिए शिशु मंजूषा (Child Care Kit) दिया जाएगा ।

38.'मेरी बिटिया मेरा अभिमान' योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली लड़कियों के माता–पिता को सम्मानित किया जाएगा।

39.गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा आरती तथा अन्य शहरों में नदी अथवा बड़े तालाबों के किनारे आरती का आयोजन किया जाएगा ।

40.राज्य के किसानों को प्रति पंचायत 25 हजार पौधे वृक्षारोपण के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे ।

41.नदियों को जोड़ने की योजना को बल प्रदान किया जायेगा ।

42.राज्य में ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क ग्रामीण टोलों तक पहुंचायेंगे ताकि ब्रॉडबैंड की सुविधा सभी निवासियों को मिले ।

43.सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति–बहुल क्षेत्रों तक मोबाईल , मेडिकल वैन, और टेली–मेडिसिन की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

44.24X7 एम्बुलेंस सेवा एवं Trauma Care की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

45.प्रमुख शहरों में प्रतिवर्ष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा । इसमें बड़ी कंपनियों को बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये आने के लिये प्रेरित करेंगे ।

46.प्रत्येक वर्ष मैट्रिक और इंटर पास करने वाली 5000 बालिकाओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी प्रदान की जायेगी।

47. प्रत्येक गरीब परिवार को एक जोड़ा धोती साड़ी प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये।

48. सभी दलित, महादलित टोलो में एक मुफत रंगीन टीवी दिया जायेगा।

49. हम Make in Bihar, Digital Bihar, Skilled Bihar एवं स्वच्छ बिहार को बढ़ावा देंगे।

50. सभी प्रखंडों में मिनी आईटीआई सभी उपखंडों में एक आईटीआई सभी जिलों में एक पॉलिटेक्निक और सभी प्रमंडलों में एक–एक इंजीनियरिंग और चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करेंगे।

दृष्टि पत्र टीम

श्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री (अध्यक्ष)
प्रोफेसर किरण घई सिन्हा, विधान पार्षद
श्री कृष्ण कुमार सिंह, विधान पार्षद
श्री सुरेश रूंगटा, प्रवक्ता
डॉ0 योगेन्द्र पासवान, प्रवक्ता
श्री देवेश कुमार, प्रवक्ता